

फर्द अहकाम

दाखी बनाम खीरोड सिंह का

नाम न्यायालय AC-II

केस संख्या 2502/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/02/22	<p>पञ्जवली पेशा दुई वठील उभयपक्ष उपर प्रार्थी/पक्षी की बोल के प्रार्थना पर 151 CPC पैरा का निवेदन किया जाया की अप्रार्थी सं. 2 की मूल्पास में Ex-parte होने एवं हस्तुतोष नहीं चाहने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 का नाम हटाया गया। वठील अप्रार्थी ने प्रार्थना का जवाब न देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पर उभयपक्ष की सुनी बहस उभयपक्ष ने प्रार्थना स्वीकार करके हेतु सहमत होने आतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाया अप्रार्थी सं. 2 का नाम हटाया गया जाता है, वठील प्रार्थी को निर्दिशित किया जाता है की संशोधित उनवान पेशा करे। वठील प्रार्थी की बोल के संशोधित उनवान पेशा किया जाया 200 पञा० किया जाया। वठील अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थना से हटो खाने का जवाब न देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस प्रार्थना से हटो खाने द्वारा 5 मियाद अधिनियम पर वठील उभयपक्ष सुनी जाये। वठील अप्रार्थी ने शास्ती पर प्रार्थना स्वीकार हेतु सहमत होने। उभयपक्ष की बहस सुनी जाये पञ्जवली का मप प्रस्तुत अपलोकर किया जाया। आतः प्रार्थी का</p>

फरद अहकाम

दफ्तर 38/ बनाम धीरेन्द्र सिंह को

यालय AC-II

या रिकॉर्ड नंबर 40/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>ग्रा.पा. द्वारा 2 मियाद बाधित मजबूत रिकॉर्ड नंबर ग्रा.पा. 1000/- (एक हजार रुपये) आगती पर लबीकार क्रिया आकर मुखवा को पुनः नंबर पर लिपि जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। फावली केसल शुमार होकर दर्ज नंबर पर कम हो। मुखवा दर्ज रजिस्ट्रार होकर अंतरकार कार्यवाही हो निर्णय आज्ञा दिनांक 21/02/2022 को करते इजलास सुनाया गया।</p>	

सहायक क्लर्क  
जयपुर शहर द्वितीय